

## हरियाणा सरकार अवैध मंज़िलों को ध्वस्त करेगी

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTCP)** ने निर्देश जारी किये हैं, जिसमें कहा गया है कि **आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से निर्मित मकानों की चौथी मंज़िलों** को ध्वस्त किया जा सकता है और उनके **अधिभोग प्रमाण-पत्र रद्द किये जा सकते हैं।** 

## मुख्य बदुि:

- फरवरी 2023 में, हरियाणा सरकार ने लंबित आवेदनों सहित आवासीय भूखंडों के लिये नई 'स्टिल्ट प्लस 4 मंज़िल' निर्माण योजनाओं हेतु अनुमोदन को निलंबित कर दिया।
  - सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि राज्य भर में ऐसी इमारतों को अनुमति दी जाए या नहीं।
- DTCP के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन आवासीय भवनों में चौथी मंज़िल का निर्माण <mark>किया गया था, लेकिन आवश्यक औ</mark>पचारिकताओं को 23 फरवरी, 2023 तक पूरा नहीं किया गया है, उनके कब्ज़े के प्रमाण-पत्र हरियाणा सरकार के अ<mark>गले</mark> निर्देशों तक निलंबित रहेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-to-demolish-illegal-floors